रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2000/आश्विन 3, 1922

No. 130] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2000/ASVINA 3, 1922

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(मुख्य कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2000

सं. पी.एस.बी./डी.ए.सी./2000.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात :-

1. (1) ये विनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील (संशोधन) विनियम, 2000 कहलाएंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे ।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1982 (अब से इन्हें उपरोक्त विनियम कहा जाये) के विनियम 6 में,-

(I) उप-विनियम (3) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात:-

(3) जहां जांच किए जाने की प्रस्तावना हो , वहां अनुशासनिक प्राधिकारी पुख्ता प्रमाणों के आधार पर अधिकारी के खिलाफ अभिकथनों और सुस्पष्ट आरोप प्रस्तुत करेंगे और आरोपों की सूची उन आरोपों की विवरणी एवं उन पर आधारित दस्तावेजों कीसूची तथा उन दस्तावेजों की प्रति और गवाहों की सूची के साथ गवाहों के बयान, यदि कोई हों तो, जिन पर वो आधारित हो, अधिकारी कर्मचारी को लिखित रूपमें सूचित किए जायेंगे, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने प्रतिवाद का लिखित कथन अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष उसके द्वारा निश्चित की गई समय सीमा में ॥15 दिन से ज्यादा नहीं॥ या उस बढ़ाई गई समय सीमा में प्रस्तुत करें जो कि उपरोक्त प्राधिकारी द्वारा उसे बढ़ाकर दी गई हो ।

परंतु जहां यह संभव ना हो कि दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की जा सकें वहां अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को इस सम्बन्ध में निर्धारित समय सीमा में उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा ।

(ii) उप–विनियम ॥10॥ के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"॥10॥ जांच प्राधिकारी मामले को स्थगित करते समय, जैसा कि उप–विनियम ॥9॥ में है यह आदेश भी अभिलिखित करेगा कि अधिकारी कर्मचारी अपने बचाव की तैयारी के उद्देश्य से:-

i) उसको दी गई सूची के अनुसार दस्तावेजों का पूर्ण निरीक्षण तुरन्त करें और किसी भी स्थिति में ऐसे आदेश के 5 दिनों से अधिक नहीं , यदि उसने ऐसा पहले नहीं किया हो जैसा कि उप–विनियम ॥3॥ के परंतुक में प्रदत्त है ।

ii) उन दस्तावेजों और साक्षियों की सूची प्रस्तुत करें जैसा कि वह जांच के लिए चाहता है ।

iii) ऐसे आदेश के 10 दिन के भीतर या अधिक से अधिक दस दिन के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए,मद सं0 ॥ii॥ में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्रकटीकरण या प्रस्तुतिकरण के लिए सूचना दे सकेगा ।

टिप्पणी:- दस्तावेजों की प्रासंगिकता और गवाहों की परीक्षा, जैसा कि मद संख्या ॥ii॥ में उल्लेख किया गया है , संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा दी जाएगी ।

यू. एस. कोहली, उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन/3/4/असा./134/2000]

पाद टिप्पणी :— पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में पहले के संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित रूप से प्रकाशित किये गए ।

	संख्या	खंड संख्या	अधिसूचना सं0	तिथि
1	5(2), 14(1) और 20(2)		27	3.7.1993
2	4,6,8, 17 और 18		23	9.6.1997

PUNJAB AND SIND BANK

(Head Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2000

No. PSB/DAC/2000.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) the Board of Directors of Punjab & Sind Bank, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulation, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulation), in regulation 6,—

(i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(3) Where it is proposed to hold an inquiry, the Disciplinary Authority shall, frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the officer employee and the articles of charge, together with a statement of the allegations, list of documents relied on along with copy of such documents and list of witnesses along with copy of statement of witnesses, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the officer employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority (not exceeding 15 days). or within such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence."

"Provided that wherever it is not possible to furnish the copies of documents, disciplinary authority shall allow the officer employee inspection of such documents within a time specified in this behalf;"

(ii) for sub-regulation (10), the following shall be substituted, namely :—

"(10) The Inquiry Authority while adjouring the case as in sub-regulation (9), shall also record by an order that the officer employee may for the purpose of preparing defence :—

(i) complete inspection of the documents as in the list furnished to him immediately and in any case not exceeding 5 days from the date of such order if he had not done so earlier as provided for in the proviso to sub-regulation (3);

(ii) submit a list of documents and witnesses, that he wants for the inquiry;

(iii) give notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the Inquiring Authority may allow for the discovery or production of the documents referred to in item (ii). "

Note : The relevancy of the documents and the examination of the witnesses referred to in item (ii) shall be given by the officer employee concerned.

U.S. KOHLI, Dy. Gen. Manager (Personnel)

[Advt./III/IV/Exty./134/2000]

Foot Note :—The amendments to the Principal Regulations were published in the Gazette of India as per details given below :—

Notification No.	Clause No.	Dated
1. 27	5(2), 14(1) & 20(2)	3-7-1993
2. 23	4, 6, 8, 17 & 18	9-6-1997

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.